न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 318 / 2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 1513

प्रार्थी :–

तहसीलदार ओसियां राजस्व तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री श्याम सुन्दर पुत्र धनराज जाति साद निवासी ओसियां।
2. ग्राम पंचायत जरिये सरंपच ग्राम पचायत ओसियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 110 जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री सज्जनसिंह राजपुरोहित व भवानीसिंह (अप्रार्थी संख्या 01)।

आदेश **दिनांक :–25.11.2024**

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 110 जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ओसियां से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सज्जनसिंह ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत ओसियां से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 21.11.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 25.11.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

पंचायत निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आबादी ओसियां के खसरा नम्बर 1535 में तहसील ओसियां में कार्यरत कर्मचारियो के रहवासीय क्वार्टर तहसील बनने के समय से बने हुए है। तहसील कार्यालय ओसियां में संधारित नजूल भूमि रजिस्टर के क्रम संख्या 3 पर दर्ज सरकारी रहवासीय क्वार्टर

खसरा नम्बर 1535 रकबा 5.17 बीघा दर्ज है। जो राजकीय नजूल सम्पति है। इसी भूमि पर तहसील कार्यालय के कर्मचारियो के रहवासीय क्वार्टर बने गये है, इन्ही क्वार्टर के पास खुली जमीन पर अप्रार्थी संख्यां 1 ने तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत करके 25 गुणा 40 यानि 1000 वर्गफुट का भूखण्ड गलत तरीके से ग्राम पंचायत का होना बताकर इस भूखण्ड के गलत पडौस बताते हुए उत्तर में आम रास्ता दक्षिण में आम सडक पूर्व में स्वंय का पट्टा सुदा मकान पश्चिम में रास्ता व तहसील क्वार्टर जाने का रास्ता दर्शाते हुये गलत तरीके से आवासीय बाडा बताकर वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुये गलत तथ्य बताते हुये आवंटित करवा लिया जिसका ग्राम पंचायत को कोई जायज हक एवं कानूनन अधिकार प्राप्त नही था जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने उक्त निगरानी पेश की है।

प्रार्थी ने पंचायत निगरानी में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत ओसियां ने तहसील कि नजूल सम्पति पर अप्रार्थी संख्या 1 को भूखण्ड आवंटित कर पट्टा जारी किये जाने से पहले हर खास एवं आम को कोई नोटिस देकर उजर एतराज नही मांगे और न ही नोटिस कोई सार्वजनिक स्थानों और आवंटित स्थल पर साया किया। अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से तहसील ओसियां की नजूल सरकारी भूमि को पंचायत की आबादी भूमि बताते हुये पंचायती राज अधिनियम के प्रचलित विधि एवं नियमो के विरूद्ध जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया जो निरस्त किया जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी किये गये पट्टे का स्थान नजूल सम्पत्ति का हिस्सा है, इसके उत्तर की तरफ रास्ता व सरकारी भवन पूर्व एवं पश्चिम में सरकारी आवास भवन बने है। ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया देखने मात्र से ही उक्त भूमि सरकारी आवासो हेतु आरक्षित होना स्पष्ट है तथा तहसील की नजूल सम्पत्ति होना साबित है। अप्रार्थी संख्यां 1 के पक्ष में तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी किया गया पट्टा पंचायत की आबादी भूमि में नहीं होने से गैर कानूनी एवं शून्य है। तहसील ओसियां की नजूल भूमि सम्पत्ति की जमीन पर गलत पट्टा जारी होने की जानकारी मिलने के बाद यह निगरानी समयावधि मे पेश है। निगरानी के अन्त में सरंपच ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्यामसुन्दर पुत्र धनराज जाति साद निवासी ओसियां के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 110 से संबधित रिकॉर्ड सरंपच ग्राम पंचायत ओसियां से व इसके आधार पर किये गये बेचान का रिकार्ड मंगवाया जाकर जारी पट्टा को निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर बतलाया कि ग्राम व तहसील औसियां के आबादी क्षेत्र में आये खसरा नं. 1535 में अप्रार्थी संख्या 01 का रहवासीय मकान आया हुआ है जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 परिवार सहित बैरोक–टोक पिछले कई वर्षों से रहवास करते आ रहे है उक्त जायदाद आबादी क्षेत्र में आई हुई है जिसके आस–पास कई पक्के रहवासीय मकानात बने हुए है व व्यवसायिक दुकाने आई हुई है जो खसरा संख्या 1535 में ही आई हुई है उक्त खसरा संख्या 1535 की भूमि ग्राम पंचायत की भूमि है जो ग्राम औसियां के खसरा नं. 1535 की जमाबंदी सवत् 2068 से 2071 को देखने मात्र से साबित है जिसकी प्रति उक्त जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई। यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि उक्त जायदाद को लेकर पुर्व में तहसीलदार औसियां द्वारा धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत उक्त जायदाद को लेकर कार्यवाही की गई थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था एवं तहसीलदार द्वारा जायदाद के सम्पूर्ण दस्तावेजात की जांच पड़ताल कर दिनांक 28.07.1988 को गैरसायल के विरूद्ध खोली गयी कार्यवाही ड्रोप कि गयी थी जिसकी पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हुई उक्त आदेश दिनांक 28.07.1988 की प्रति उक्त जवाब याचिका के साथ पेश की गई।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब में आगे बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 का रहवासीय मकान खसरा संख्या 1535 में आया हुआ है। उक्त मकान अप्रार्थी संख्या 1 के स्वयं के मालिकाना हक का पटटासुदा, कब्जासुदा व खरीदसुदा रहवासीय मकान जो आबादी क्षेत्र में आया हुआ है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक मे जारी किया गया। उक्त भूखण्ड बाबत् पूर्व में अप्रार्थी संख्या 01 के पिता धनराज द्वारा दिनांक 30.01.1977 को पट्टा बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र व रजिस्ट्री की नकल ग्राम पंचायत ओसिया में प्रस्तुत की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत कार्यालय ओसिया जिला जोधपुर द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 11.06.1977 को एक इस्तहार उजरदार नोटिस निकाला गया जिसकी क्रम संख्या 83 है उक्त नोटिस निकालने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को उक्त भूखण्ड का पट्टा बनने से कोई उजर एतराज नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.08.1977 को उक्त भूखण्ड पर पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया एवं उसी दिन भवन निर्माण हेतु अनुमति भी दी गई थी तथा दिनांक 26.06.1981 को ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा भवन निर्माण की लिखित स्वीकृति दी गई। उक्त स्वीकृति के पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पिता के द्वारा समय समय पर निर्माण कार्य

करवाया गया एवं धीरे धीरे आबादी बढने के साथ–साथ दिनांक 26.08.2002 को ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा उक्त भूखण्ड के गट्र निर्माण के कार्य हेतु लिखित सहमति मेरे पिता के द्वारा ग्राम पंचायत से ली गई एवं इसी भूखण्ड के इमारती टेक्स की रसीद भी ग्राम पंचायत ओसिया द्वारा दिनांक 26.08.2002 को प्रदान की गई हैं एवं उक्त सभी निर्माण बाबत् अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पिता के द्वारा समय–समय पर ग्राम पंचायत ओसियां से अनुमति लेकर ही करवाये गये है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने तत्कालीन सरपंच से मिली भगत कर भूखण्ड का पट्टा अपने स्वयं के नाम जारी करवाया गया है। उक्त जायदाद पर अप्रार्थी संख्या 01 का पिछले लगभग 40–42 वर्षों से बेरोक टोक कब्जा एवं रहवास परिवार सहित चला आ रहा है परन्तु अब वर्तमान में तहसीलदार ओसियां द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को तंग व परेशान करने हेतु उक्त भूखण्ड का पट्टा जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा विधिवत् जारी किया गया, को निरस्त करने हेतु उक्त निगरानी याचिका गलत एवं झूठे आधारो पर प्रस्तुत की गई है, जो प्रथम दृष्टया देखने मात्र से ही खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि तत्कालीन ग्राम पचायत ओसियां ने तहसील की नजूल सम्पति भूमि व क्वार्टर के दक्षिण पूर्व की ओर परिसर की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 को भूखण्ड आवंटित किये जाने से पहले हर खास एवं आम को नोटिस देकर उजर एतराज नहीं मांगे और न ही कोई सार्वजनिक स्थानो व आवंटित स्थल पर छाया किया। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत ओसिया के कार्यकाल में पट्टे बाबत् सम्पूर्ण कार्यवाही कानूनी प्रकिया से की गई थी जो कार्यवाही ग्राम पंचायत ओसियों के रेकर्ड मे उपलब्ध हैं एवं भूखण्ड के निर्माण से लेकर भूखण्ड पर रहवास तक की अनुमति ग्राम पंचायत ओसियां के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को प्रदान की गई थी। प्रार्थी का यह भी कहना गलत है कि आवटंन गुप्त रूप से पंचायती राज अधिनियम के प्रचलित विधि एवं नियमों के विपरित जाकर करवाया गया है, उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत ओसिया के द्वारा "आबादी भूमि का विक्रय विलेख अनुसुचित जाति एवं जनजाति कारीगरा लघु व सीमांत कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय पट्टा आवंटन भूखण्ड का प्र–पत्र" राजस्थान पंचायती (एक्ट 1953 की धारा 71 के पंचायतो में प्रभारी अधिकारी जिलाधीश द्वारा नियुक्त) एवं धारा 87 के उपबंधो के अनुसार निगम निकाय है जिसे आवटंन अधिकारी बंधित किया गया है। उक्त पट्टा

ग्राम पंचायत द्वारा विधि व नियमों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जो कतई निरस्त किये जाने योग्य नहीं हैं।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी किये गये भूखण्ड का पट्टा संख्या 110 नजूल सम्पति का हिस्सा न होकर आवासीय भूमि हैं। प्रार्थी द्वारा जिस प्रकार दिशाओं का निगरानी में वर्णन किया गया है गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी का यह कहना सही है कि उक्त भूमि के पट्टाधारी श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री धनराज जाति साद, निवासी ओसिया, उक्त भूखण्ड संख्या 110 में 25 गुणा 40 यानि 1000 वर्ग फिट ग्राम पंचायत ओसिया द्वारा जारी किया गया था लेकिन यह कहना गलत है कि पट्टा राजकीय नजूल भूमि में जारी किया गया था। उक्त जायदाद पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पिता धनराज जी की आय से मकान का निर्माण कराया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टे को ग्राम पंचायत ओसिया से दिनांक 05.07.2009 को अपने नाम से नवीनीकरण कराया गया जिसमें पट्टे का नाप व पड़ौस अंकित हैं एवं कार्यालय ग्राम पंचायत ओसिया द्वारा दिनांक 12.08.2009 को उक्त जायदाद बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र जांच पड़ताल कर जारी किया गया है। उक्त पट्टे का पंजियन श्रीमान् उपपंजियक ओसिया द्वारा दिनांक 12.08.2009 को क्रमांक संख्या 378/00 एवं रसीद क्रमाक संख्या 17/42 पंजियन संख्या 100 प्रतिलिपि पृष्ठाकंन 100 पर अकिंत कर जारी किया गया है। जो कानुनन रूप से किया गया है प्रकरण के तथ्यो, परिस्थितियो व दस्तावेजात को देखने मात्र से ही उक्त निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है एवं उक्त निगरानी याचिका केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 01 को तंग व परेशान करने हेतु प्रस्तुत की गई हैं।

हमने पत्रावली व ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रथमतः ग्राम पचांयत ओसियां द्वारा जारी पट्टे को उपपंजीयक ओसियां (तहसीलदार ओसियां) के समक्ष दिनांक 12.08.2009 को पंजीकृत करवाया गया इससे स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टे की जानकारी प्रार्थी को वर्ष 2009 से ही हो गई थी फिर भी प्रार्थी तहसीलदार ओसियां द्वारा अत्यधिक विलम्ब से उक्त निगरानी पेश की गई। द्वितीयतः प्रार्थी का प्रकरण में मुख्य कथन रहा कि ग्राम पंचायत द्वारा नजूल सम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थी के पक्ष में जारी कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को नजूल सम्पत्ति पर पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकरण में इस बाबत् तहसीलदार ओसियां से

रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार ओसियां ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि ग्राम ओसियां के खसरा नम्बर 1535 रकबा 98.17 बीघा वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 1279 में ग्राम पंचायत के अधीन है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नजूल सम्पत्ति का उल्लेख नहीं है। नजूल सम्पत्ति का विवरण का आधार भू0अ0 शाखा में स्थित नजूल रजिस्टर है किन्तु वक्त सैटलमेंट से आज दिनांक इससे राजस्व रिकॉर्ड में कही नहीं दर्शाया गया है अर्थात् नजूल सम्पति की तरमीम नहीं हुई है। नजूल रजिस्टर में रकबा अनुसार नक्शा अंकित नहीं है। न ही वर्तमान नक्शा लट्टा ट्रेस में रकबा 5.17 बीघा का अंकन है। इस आधार पर निगरानीधीन पट्टे की भूमि नजूल सम्पत्ति होना प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर होने व सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)